रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04102022-239330
CG-DL-E-04102022-239330

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4464] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 4, 2022/आश्विन 12, 1944
No. 4464] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 4, 2022/ASVINA 12, 1944

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अक्तूबर, 2022

का.आ. 4672(अ).—विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) व्यष्टियों और संगमों के कतिपय विधिविरुद्ध क्रियाकलापों के अधिक प्रभावी निवारण करने और आतंकवाद संबंधी क्रियाकलापों और उससे सम्बंधित विषयों से निपटने के लिए अधिनियमित किया गया है ;

और उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) का खंड (क) केन्द्रीय सरकार को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में किसी व्यष्टि के नाम को, यदि उसका यह विश्वास है कि वह आतंकवाद में सम्मिलित है, अधिसूचित करने के लिए सशक्त करता है ;

और बसीत अहमद रेशी, पुत्र मोहम्मद रमजान रेशी जिसकी जन्म की तारीख 4 मार्च, 1996 है, यंबरजलवाड़ी शिवा डंगेरपोरा, जिला बारामूला, जम्मू-कश्मीर का निवासी है, जो इस समय पाकिस्तान में रहता है, आतंकवादी संगठन हिज्बुल-मुजाहिदीन का एक सदस्य है;

और हिज्बुल-मुजाहिदीन को उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची के अधीन क्रम संख्यांक 8 पर एक आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया गया है ;

और उक्त बसीत अहमद रेशी विध्वंसक क्रियाकलापों में अंतर्वलित रहा है और जम्मू-कश्मीर में लक्षित हत्याओं का समन्वय कर रहा है ;

और उक्त बासित अहमद रेशी ने 18 अगस्त, 2015 को सोपोर में तज्जौर शरीफ पेट अस्तान में बाबा अली रैना मजार की पुलिस चौकी पर एक आतंकवादी हमले की योजना बनाई और उसे निष्पादित किया, जिसमें एक पुलिसकर्मी और एक नागरिक मारा गया था ;

और उक्त बसीत अहमद रेशी अपने पैतृक क्षेत्र में अपने सहयोगियों के अच्छे नेटवर्क के कारण आतंकवादी हमलों के लिए भर्ती और उनके निष्पादन के लिए समन्वय कर रहा है ;

और उक्त बसीत अहमद रेशी सीमा पार से हथियारों और गोला बारूद का प्रबंध करने तथा आतंकवाद के वित्त पोषण करने और आतंकवादी रैंकों में सम्मिलित होने के लिए युवाओं को प्रेरित करने में अंतर्वलित रहा है ;

और केन्द्रीय सरकार का यह विश्वास है कि बसीत अहमद रेशी आतंकवाद में अंतर्वलित है और उक्त बसीत अहमद रेशी को उक्त अधिनियम के अधीन एक आतंकवादी के रूप में अधिसूचित किया जाना है ;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में, क्रम संख्या 40 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

"41. बसीत अहमद रेशी"।

[फा. सं. 11034/09/2022/सीटी-I]

प्रवीण वशिष्ठ, अपर सचिव

टिप्पण : विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की चौथी अनुसूची का अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्यांक का.आ. 4671(अ), तारीख 4 अक्तूबर, 2022 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th October, 2022

S.O. 4672(E).—Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith;

And whereas, clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the said Act empowers the Central Government to notify the name of an individual in the Fourth Schedule to the said Act, if it believes that he is involved in terrorism;

And whereas, Basit Ahmad Reshi, son of Mohammad Ramzan Reshi, having date of birth on the 4th March, 1996, resident of Yemberzalwari Shiva Dangerpora, District Baramulla, Jammu and Kashmir, presently based in Pakistan, is one of the members of the terror outfit Hizb-Ul- Mujahideen;

And whereas, Hizb-Ul-Mujahideen is listed as a terrorist organisation under the First Schedule to the said Act at serial No. 8;

And whereas, the said Basit Ahmad Reshi is involved in subversive activities and coordinating target killings in Jammu and Kashmir;

And whereas, the said Basit Ahmad Reshi planned and executed a terror attack on police guard post of shrine Baba Ali Raina at Tajjaur Sharief Peth Astan in Sopore on the 18th August, 2015 in which one police personnel and a civilian were killed;

And whereas, the said Basit Ahmad Reshi owing to his good network of associates in his native area coordinates for recruitment and execution of terror attacks;

And whereas, the said Basit Ahmad Reshi has been involved in managing arms and ammunition and terror financing form across the border and motivating youths to join terrorist ranks;

And whereas, the Central Government believes that Basit Ahmad Reshi is involved in terrorism and the said Basit Ahmad Reshi is to be notified as a terrorist under the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following amendment in the Fourth Schedule to the said Act, namely:-

In the Fourth Schedule to the said Act, after serial number 40 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

"41. Basit Ahmad Reshi".

[F. No. 11034/09/2022/CT-I]

PRAVEEN VASHISTA, Addl. Secy.

Note : The Fourth Schedule to the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 was last amended vide the notification number S.O. 4671(E), dated the 4th October, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.10.04 16:28:24 +05'30'